भाग 4 (क)

राजस्थान विधान गण्डल के अधिनियम ।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 14, 2005

संख्या प.2 (9) विधि/2/2005:- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 13 मार्च, 2005 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और
विनियमन) अधिनियम, 2005
(2005 का अधिनियम संख्यांक 4)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 13 मार्च, 2005 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में क्रीड़ा संगमों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन का उपबंध करने और क्रीड़ा संगमों के क्रियाकलापों और कार्यकलापों को सुकर बनाने और विनियमित करने और राजस्थान राज्य का और राज्य के विभिन्न राजस्व जिलों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करने और विनियमन करने का भी उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष मेंराजस्थान राज्य विधानमंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रसार (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता औरं विनियमन) अधिनियम, 2005 है।
2. इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।
3. यह18 अगस्त, 2004 को और से प्रवृत्त हुआ समझो जायेगा।

2. मरिभाषाएं. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "तदर्थ कार्यकारी समिति" से ऐसा कार्यकारी निकाय अभिप्रेत है जिसे रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी क्रीड़ा संगम केकार्यकलापों का प्रबंध इस अधिनियम की धारा 24 और 26 केअधीन अस्थायी रूप से न्यस्त किया गया हो;

(ख) "संबद्धता" से इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए संबंध स्थापित करना अभिप्रेत है;

(ग) "साधारण वार्षिक बैठक" से किसी भी क्रीड़ा संगम के साधारण निकाय की वार्षिक बैठक अभिप्रेत है;

(घ) "संबद्धता प्रमाणपत्र" से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संबद्धता मंजूर करते समय राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, किंसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम या किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम द्वारा जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है और इसमें राजस्थान ओलम्पिक संगम द्वारा जारी किया गया संबद्धता-पत्र सुम्मिलित होगा;

(ङ) "जिला" से राजस्थान राज्य का कोई राजस्व जिला अभिप्रेत है;

(च) "जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम" से ऐसी क्रीड़ा इकाई अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट खेल या क्रीड़ा में किसी राजस्व जिले का प्रतिनिधित्व करती है और संबंधित जिला क्रीड़ा परिषद्, राज्य

स्तरीय क्रीड़ा संगम और जिला ओलम्पिक संगम से सम्यक् रूप से संबद्ध है और जिसके संबद्धक राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम ने रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर दिया हो;

(छ) "जिला क्रीड़ा परिषद् से राजस्थान राज्य क्रीड़ा के नियंत्रण के अधीन किसी राजस्व जिले में क्रियाशील परिषद् के कोई परिषद् अभिप्रेत है;

(ज) "निर्वाचन" से किसी क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय का निर्वाचन अभिप्रेत है;

(झ) "कार्यकारी निकाय" से सम्यक् रूप से निर्वाचिंत व्यक्तियों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जो किसी भी क्रीड़ा संगम के कार्यकलापों का प्रबंध और नियन्त्रण करता है, चाहे ऐसा निकाय किसी भी नाम से जाना जाये;

(ञ) "असाधारण साधारण बैठक" से किसी भी क्रीड़ा संगम के साधारण निकाय की साधारण वार्षिक बैठक से भिन्न कोई विशेष बैठक अभिप्रेत है;

(ट) "साधारण निकाय" से किसी भी क्रीड़ा संगम के समस्त मतदान करने वाले और मतदान नहीं करने वाले सदस्यों का निकाय अभिप्रेत है:

(ठ) "सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ड) "प्रेक्षक" से रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, किसी भी जिला क्रीड़ा परिषद् या किसी क्रीड़ा संगम द्वारा, क्रीड़ा संगम के निर्वाचनों या किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मानीटर करने के लिए, नियुक्त कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है :

(ढ) "पदाधिकारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भी क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय में अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष का पद धारण करता है;

(ण) "प्राथमिक क्रीड़ा निकाय" से किसी राजस्व जिले में क्रियाशील ऐसी क्रीड़ा इकाई अभिप्रेत है जो न तो राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम है और न ही जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम और जो उपखण्ड या तहसील या नगर या गांव स्तर पर कार्य कर रही है और जो व्यष्टियों द्वारा गठित की गयी है और जो जिला स्तरीय क्रीड़ा परिषद् से संबद्ध है;

(त) "राजस्थान ओलम्पिक संगम" से राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजन के लिए गठित संगम अभिप्रेत है और जो भारतीय ओलम्पिक संगम द्वारा इस रूपमें मान्यताप्राप्त है और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् से सम्यक् रूप से संबद्ध है;

(थ) "राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् से राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत परिषद् अभिप्रेत है जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. 93/जयपुर/69-70 है;

(द) "रजिस्ट्रार" से रजिस्ट्रार के कृत्यों का पालन करने के लिए राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) की धारा 4 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसमें रजिस्ट्रार की समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करते समय रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है;

(ध) "विनियम" से टूर्नामेंट, कोचिंग, प्रशिक्षण, अम्पायर क्लीनिक का संचालन करने के मामले या उप-विधियों के अधीन न आने वाले किसी भी अन्य मामले में किसी क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(न) "विशेष संकल्प" से साधारण निकाय की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित ऐसा कोई संकल्प अभिप्रेत है जिसका कार्यवृत्त अभिलिखित किया जाता है और पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित और प्रेक्षक, यदि कोई हो, के द्वारा अनुप्रमाणित किया जाता है, इस प्रयोजन के लिए कुल मतदाताओं के कम से कम आधे की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी;

(प) "क्रीडा संगम" से राज्य में क्रीड़ा और खेलों को "बढ़ावा देने के लिए गठित राज्य स्तरीय क्रीडा संगम, जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम या कोई प्राथमिक क्रीड़ा निकाय अभिप्रेत है;

(फ) "राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम" से राज्य में विशिष्ट खेल या क्रीड़ा के लिए जिला स्तरीय क्रीड़ा संगमों का निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् से सम्यक् रूप से संबद्ध और राजस्थान ओलम्पिक संगम से संबद्ध हो और रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकृत हो और जिसने अनुसूची 'ख' केअधीन पात्र होने पर रजिस्ट्रीकरण के लिए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार को आवेदन कर दिया हो।

अध्याय 2
रजिस्ट्रीकरण और संविधान

3. अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण प्राथमिक क्रीडा निकाय को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन परिभाषित प्रत्येक क्रीड़ा संगम को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है।

4. रजिस्ट्रार (1) राज्य की सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार होगा और वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहण के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की सहायता प्राप्त कर सकेगा।

(2) सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति किसी भी अधिकारी को प्रदत्त कर सकेगी।

(3) रजिस्ट्रार, किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन की अपनी समस्त या कोई भी शक्ति अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) उपर्युक्त उप-धारा (2) और (3) के अधीन नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी राजस्थान सहकारी सेवा के कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी या समकक्ष अधिकारी की रैंक से नीचे का नहीं होगा।

5. क्रीड़ा संगमों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन- (1) अनुसूची 'ख' में सूचीबद्ध राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम और खेल या क्रीड़ा के लिए कोई भी अन्य भावी राज्य स्तरीय क्रीड़ां संगम, जो वर्तमान में अनुसूची 'ख' के अन्तर्गत नहीं है और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुसूची 'ख' में जोड़ दिया जाये और उससे संबद्ध जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम, संगम के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेंगे जिसमें क्रीड़ा संगम कानाम, पता, प्रतिनिधित्वं वाले क्षेत्र, उसके द्वारा जिस खेल या क्रीड़ा का प्रतिनिधित्व किया गया है, उसका कथन और कार्यकारी निकाय का पूरा ब्यौरा होगा और उसके साथ अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट दस्तावेज लगाये जायेंगे।

(2) किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम को उसके संबद्धक राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए नौ मास का समय अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए 125 रुपये की रंजिस्ट्रीकरण फीस या ऐसी अन्य फीस प्रभार्य होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर पुनः अवधारित और अधिसूचित की जाये।

(रजिस्ट्रीकरण के लिए दो सौ पचास रुपये की रंजिस्ट्रीकरण फीस या ऐसी अन्य फीस प्रभार्य होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर पुनः अवधारित और अधिसूचित की जाये, के स्थान पर उक्तानुसार प्रतिस्थापित किया गया है।)

6. क्रीड़ा संगमों का रजिस्ट्रीकरण. (1) रजिस्ट्रार यहसमाधान कर लेने के पश्चात् कि प्रस्तावित क्रीड़ा संगम इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करता है, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर क्रीड़ा परिषद् को उसकी उप-विधियों सहित रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से उसका प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

(2) यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि उप-धारा (1) की अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई है तो वह आवेदक को पन्द्रह दिन का नोटिस देने और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

7. क्रीडा संगम के संविधान की विरचना.-इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक क्रीड़ा संगम अपने संविधान की विरचना करेगा जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होगा:-

(क) भाग 'क'- ज्ञापन जिसमें उसके लक्ष्य और
उद्देश्य और कार्यक्षेत्र अंतर्विष्ट होगा;

(ख) भाग 'ख'- उप-विधियां ।

8. उप-विधियां.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक क्रीड़ा संगम, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है, अपनी उप-विधियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध करेगाः-

(क) क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय का निर्वाचन कालिक निर्वाचनों में लोकतांत्रिक रीति से किया जायेगा;

(ख) कार्यकारी निकाय के निर्वाचन प्रत्येक 4 वर्ष में कम-से-कम एक बार करवाये जायेंगे;

(ग) जिला स्तरीय संगम, संबंधित राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के उन विनिश्चयों या निर्देशों का पालन करने के लिए ऐसे उपबंध करेंगे जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हों;

(घ) क्रीड़ा और समाज के प्रत्येक वर्ग के खिलाड़ियों को भेदभाव के बिना प्रोत्साहित करने के उपबंध ।

(2) प्रत्येक क्रीड़ा संगम अपनी उप-विधियों में निर्वाचनों के लिए ऐसी प्रक्रिया सम्मिलित करेगा जिसमें अन्य उपबंधों के साथ-साथ निम्नलिखित समाविष्ट होगा:-

(क) स्वतंत्र निर्वाचन अधिकारी का उपबंध,

(ख) निर्वाचन की सूचना जारी होने के पूर्व मतदाता सूची का प्रकाशन;

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष के संपरीक्षित लेखाओं और विधिमान्य मतदाता सूची सहित संगम के सचिव के नाम से और मुद्रा के अधीन निर्वाचन के लिए जारी न्यूनतम इक्कीस दिन का नोटिस:

(घ) कम-से-कम तीन दिन पूर्व नामनिर्देशन प्राप्त करने का उपबंध;

(ङ). गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन करवाने का उपबंध ।

(3) उप-धारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप-विधियों में प्रत्येक संशोधन विशेष संकल्प द्वारा पारित किया जायेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित और रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

(4) यदि रजिस्ट्रार की यह राय हो कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है तो वह प्रस्तावित संशोधन क्रीड़ा संगम को कारणों सहित उस पर पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकेगा। तत्पश्चात् क्रीड़ा संगम प्रस्तावित संशोधन पर पुनर्विचार करेगा और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप करने और किये गये आक्षेपों की पूर्ति करने के पश्चात्,रजिस्ट्रार को नये प्रस्तावित संशोधन पुनः प्रस्तुत कर सकेगा। तत्पश्चात् रजिस्ट्रार प्रस्तावित संशोधन को या तो अनुमोदित करेगा या अननुमोदित करेगा और अपने आदेश से संबंधित क्रीड़ा संगम को कारणों सहित संसूचित करेगा।

9. क्रीड़ा संगम की सदस्यता. (1) इस अधिनियम केअधीन रजिस्ट्रीकृत कोई जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम संबंधित राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम का सदस्य होगा।

(2) कोई प्राथमिक क्रीड़ा निकाय संबंधित जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम का सदस्य होगा।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सदस्यता में कोई परिवर्धन, हटाया जाना या परिवर्तन केवल क्रीड़ा संगम के साधारण निकाय की बैठक में किया जा सकेगा।

(4) क्रीड़ा संगम अपनी उप-विधियों में सदस्यता मंजूर करने के लिए शर्तें और प्रक्रिया विहित कर सकेगा।

10. किसी क्रीड़ा संगम का गठन करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं.- (1) कोई राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम न्यूनतम छह जिला स्तरीय क्रीड़ा संगमों द्वारा गठित किया जायेगा।

(2) कोई जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम न्यूनतम तीन प्राथमिक क्रीड़ा निकायों द्वारा गठित किया जायेगा।

(3) कोई प्राथमिक क्रीड़ा निकाय न्यूनतम सात व्यष्टियों द्वारा गठित किया जायेगा।

11. कार्यकारी निकाय की संरचना. किसी क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय में पदधारियों को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम पांच और अधिकतम इक्कीस सदस्य होंगे।

12. राजस्थान ओलम्पिक संगम और जिला ओलम्पिक संगम.- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राजस्थान ओलम्पिक संगम को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा संबद्धता दी जायेगी, और उसे राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के रूप में माना जायेगा और वह इस अधिनियम के अधीनरजिस्ट्रीकृत राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगमों को ओलम्पिक खेलों, एशियाई खेलों या राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने के लिए मान्यताप्राप्त खेलों या क्रीड़ा के लिए, और भारतीय ओलम्पिक संगम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों या किन्हीं भी अन्य प्रतिस्पर्धाओं में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनों के लिए संबद्धता देगा।

(2) जिला ओलम्पिक संगम इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत जिला स्तरीय क्रीड़ा संगमों को संबद्ध करेगा।

(3) राजस्थान ओलम्पिक संगम या उसका कोई भी संबद्ध निकाय क्रीड़ा से संबंधित कोई अन्य कार्य कर सकेगा जो राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् उसे न्यस्त करे।

(4) राजस्थान ओलम्पिक संगम और इसके घटक जिला ओलम्पिक संगम उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अधीन आने वाले रजिस्ट्रीकृत क्रीड़ा संगमों को ऐसे किसी संगम द्वारा किये गये आवेदन के तीस दिन के भीतर-भीतर संबद्धता-पत्र जारी करेगा।

अध्याय 3
निर्वाचन

13. निर्वाचन.- (1) किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के किसी प्रेक्षक की उपस्थिति में संचालित किये जायेंगे। किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन उसके राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के प्रेक्षक की और जिला क्रीड़ा परिषद् के प्रेक्षक की उपस्थिति में संचालित किये जायेंगे।'

(2) किसी क्रींड़ा संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन की समाप्ति पर, निर्वाचन अधिकारी निर्वाचित सदस्यों के नाम और पते देते हुए प्रेक्षक (प्रेक्षको) द्वारा सम्यक रूप प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जारी करेगा। ऐसे प्रमाणपत्र के जारी होने पर, निर्वाचित कार्यकारी निकाय क्रीड़ा संगम का प्रभारसंभालेगा। निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की प्रतियां रजिस्ट्रार और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् को भेजेगा।

14 मतदान का अधिकार (1) किसी प्राथमिक क्रीड़ा निकाय के प्रत्येक सदस्य को अपने कार्यकारी निकाय के निर्वाचन में एक मत देने का अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक सम्बद्ध प्राथमिक क्रीड़ा निकाय को, जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन के लिए उस प्राथमिक क्रीड़ा निकाय की ओर से एक मत देने का अधिकार होगा।

(3) प्रत्येक सम्बद्ध जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम को, राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन के लिए उस जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम की ओर से एक मत देने का अधिकार होगा।

(4) किसी भी व्यष्टि सदस्य को जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम या राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(5) क्रीड़ा संगम की ओर से मत देने के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों को प्राधिकार देने के अवधारण की प्रक्रिया ऐसी होगी जो क्रीड़ा संगम की उप-विधियों में विहित हो।

15. निर्वाचन लड़ने के लिए पात्रता.- (1) समस्त व्यष्टि सदस्य प्राथमिक क्रीड़ा निकाय का निर्वाचन लड़ने के पात्र हैं।

(2) समस्त सम्बद्ध प्राथमिक निकायों के निर्वाचित पदाधिकारी, जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम का निर्वाचन लड़ने के पात्र हैं।

(3) समस्त संबद्ध जिला स्तरीय संगमों के निर्वाचित पदाधिकारी, राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम का निर्वाचन लड़ने के पात्र हैं।

(4) निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के पास निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख को इस अधिनियम की अनुसूची 'ग' में विहित अर्हताएं होनी चाहिएं।

अध्याय 4
विवादों का निपटारा

16. सुलह और माध्यस्थम्. (1) यदि किसी क्रीड़ा संगम के गठन, प्रबंध क्रियाकलाप, निर्वाचन या सम्बद्धता के दावे से संबंधित कोई विवाद उद्भूत हो तो उसका निपटारा सुलह और माध्यस्थम् के माध्यम से किया जायेगा।

(2) समय-समय पर यथा-संशोधित माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 26), उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सुलह और माध्यस्थम् कार्यवाहियों पर लागू होगा।

अध्याय 5
लेखा, संपरीक्षा और निरीक्षण

17. लेखा. प्रत्येक क्रीड़ा संगम अपने लेखे अद्यतन रखेगा।

18. संपरीक्षा. प्रत्येक राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम अपने लेखाओं को चार्टर्ड एकांउटेंट से संपरीक्षित करायेगा और अपने सम्बद्ध जिला स्तरीय क्रीड़ा संगमों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करेगा।

19. विवरणी. संपरीक्षित लेखा विवरण,प्राथमिक क्रीड़ा निकाय द्वारा अपने जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम को, जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम द्वारा अपने राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम को, और राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर-भीतर भेजा जायेगा।

20. अभिलेख मंगाने और निरीक्षण की शक्ति.- (1) रजिस्ट्रार या राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, क्रीड़ा संगम का, इस अधिनियम के अधीन जांच के लिए अपेक्षित कोई भी अभिलेख मंगा सकेगी।

(2) राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम सम्बद्ध जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम का, इस अधिनियम के अधीन जांच के लिए अपेक्षित कोई भी अभिलेख मंगा सकेगा।

अध्याय 6
असंबद्धता, जांच और निरर्हताएं

21. असंबद्धता.- (1) कोई राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम,सम्यक् सुनवाई के पश्चात्, किसी भी ऐसे जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम को असम्बद्ध कर सकेगा जिसने इस अधिनियम के अध्याय 8 में अधिकथित किन्हीं भी बाध्यताओं को लगातार दो वर्ष तक पूरा नहीं किया हो और रजिस्ट्रार को सूचित कर सकेगा, जो धारा 24 के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

(2) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, सम्यक् सुनवाई करने के पश्चात्, किसी भी ऐसे राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम को असंबद्ध कर सकेगा जिसने इस अधिनियम के अध्याय 8 में अधिकथित किन्हीं भी बाध्यताओं को लगातार दो वर्ष तक पूरा नहीं किया हो और रजिस्ट्रार को सूचित कर सकेगा, जो धारा 24 के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

22. निरर्हता के आधार.- (1) कोई क्रीड़ा संगम निम्नलिखित किन्हीं भी आधारों पर कार्रवाई के लिए दायी होगा:-

(क) यदि क्रीड़ा संगम लेखा संधारित करने में विफल रहता है और धारा 19 के अधीन उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है या निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है :

(ख) यदि क्रीड़ा संगम अपनी उप-विधियों के अनुसार या, यथास्थिति, अध्याय 7 के उपबंधों द्वारा आदिष्ट होने पर निर्वाचन कराने में विफल रहता है;

(ग) यदि क्रीड़ा संगम अध्याय 8 के अधीन अपनी बाध्यताओं को निभाने में विफल रहता है;

(घ) यदि क्रीड़ा संगम या कार्यकारी निकाय का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी अन्य सदस्य अपने वैयक्तिक अभिलाभ के लिए निधियों का दुर्विनियोजन करता है या किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए क्रीड़ा संगम के कार्यकलापों का कुप्रबंध करता है;

(ङ) यदि क्रीड़ा संगम धारा 21 के अधीन असंबद्ध कर दिया जाता है।

(2) कोई राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, रजिस्ट्रार को यह सिफारिश कर सकेगा कि उससे संबद्ध किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम को निरर्हित किया जाये क्योंकि वह -

(क) टूर्नामेंट करवाने के मामले में राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के निदेशों का पालन नहीं करता है और अपने विनियमों की अवज्ञा करता है;

(ख) संबद्धता फीस का संदाय नहीं करता है;

(ग) अपनी रजिस्ट्रीकृत उप-विधियों के उपबंधों का अन्यथा अतिक्रमण करता है।

23. जांच.- (1) रजिस्ट्रार, -

(क) किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के अनुरोध पर, या

(ख) किसी क्रीड़ा संगम के कुल सदस्यों के दसवें भाग से अन्यून के अनुरोध पर, या

(ग) स्वप्रेरणा से,

कोई जांच या तो स्वयं कर सकेगा या अपने द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से करवा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, संबंधित क्रीड़ा संगम के अभिलेखों का निरीक्षण करने, जांच के प्रयोजन के लिए कोई भी दस्तावेज पेश करने का निदेश देने और उसकी प्रतिलिपि करने की सभी शक्तियां होंगी।

24. निरर्हताएं.- (1) जांच करने के पश्चात् रजिस्ट्रार प्रभावित क्रीड़ा संगम को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्

(क) कोई तदर्थ कार्यकारी समिति नियुक्त कर सकेगा और तीन मास के भीतर-भीतर कार्यकारी निकाय के नये निर्वाचन करवा सकेगा ;

(ख) निधियों के दुर्विनियोजन के मामले में विधि के अनुसार कार्रवाई कर सकेगा।

(2) किसी क्रीड़ा संगम के किसी भी विद्यमान पदाधिकारी को, जो उप-धारा (1) के अधीन निरर्हित है, किसी भी क्रीड़ा संगम का निर्वाचन लड़ने के लिए ऐसी निर्रहता की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

25. राज्य और जिलों का प्रतिनिधित्व करने या नाम काउपयोग करने का प्रतिषेध. - (1) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या तो व्यक्तिशः या सामूहिक रूप से, किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम द्वारा प्राधिकृत हुए बिना किसी भी खेल या क्रीड़ा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा या प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(2) कोई भी क्रीड़ा संगम अपने नाम के भागरूप में शब्द "राजस्थान" का उपयोग करने या किसी जिले के नाम का उपयोग करने या ऐसे किसी क्रीड़ा क्रियाकलाप का जिम्मा लेने का हकदार नहीं होगा जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तात्पर्यित किसी भी राष्ट्रीय संगम, बोर्ड या संगम की किसी संबद्ध इकाई के रूप में या किसी भी प्रकार की किसी भी अन्य रीति से राजस्थान राज्य या किसी जिले का प्रतिनिधित्व करने के रूप में परिणत हो, जब तक कि ऐसा क्रीड़ा संगम इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम या किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो।

(3) जो कोई उपर्युक्त उप-धारा (1) और (2) के उपबंधोंका उल्लंघन करता है वह दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) कोई भी न्यायालय, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लिखित में किये गये परिवाद के सिवाय इस धारा के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(5) रजिस्ट्रार, लेखबद्ध कारणों से, इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का प्रशमन कर सकेगा। इस धारा के अधीन किसी भी अपराध के प्रशमन पर ऐसे अपराध के बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जायेगी।

अध्याय 7
संक्रमण

26. मान्यता.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बातके होने पर भी, राज्य या जिला स्तर पर खेल या क्रीड़ा क्रियाकलापों का जिम्मा लेने वाला कोई संगम, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रार को आवेदन किये जाने पर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने और मान्यताप्राप्त करने का विकल्प देने और उसका प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा और इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर अपनी उप-विधियों को, उन्हें रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप करने के लिए संशोधित करेगा और इस अधिनियम की अनुसूची 'क' में विर्निदिष्ट सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि ऐसा कोई आवेदन इस अधिनियम के प्रारंभ के तीस दिन के भीतर-भीतर नहीं किया जाता है या यदि उप-धारा (1) के अन्तर्गत आने वाली क्रीड़ा संगम की उप-विधियां, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं की जाती हैं तो क्रीडा संगम के कार्यकारी निकाय को रजिस्ट्रार द्वारा अतिष्ठित कर दिया जायेगा और क्रीड़ा संगम के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए तदर्थ कार्यकारी समिति नियुक्त की जायेगी। ऐसी कोई तदर्थ कार्यकारी समिति असाधारण साधारण बैठक बुलायेगी और अनुमोदित उप-विधियों को प्रभार ग्रहण करने के तीस दिन के भीतर-भीतर संशोधित करवायेगी, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगी और तत्पश्चात् नये निर्वाचन करने के लिए अग्रसर होगी।

(3) उप-विधियों में संशोधन के पश्चात् नये निर्वाचन ऐसे संशोधन से तीस दिन के भीतर-भीतर ऐसे मामलों में किये जायेंगे जिनमें-

(क) ऐसा कोई संशोधन पूर्ववर्ती निर्वाचित कार्यकारी निकाय को अतिष्ठित करने के पश्चात् किया गया है;

(ख) पूर्ववर्ती निर्वाचित कार्यकारी निकाय ऐसे किसी निर्वाचकगण द्वारा निर्वाचित किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन उपबंधित सदस्यों से भिन्न सदस्य समाविष्ट थे :

परन्तु निर्वाचकगण और अपने संबद्धक संगमों के निर्वाचन लड़ने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पात्रता उप-धारा (4) के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के प्रारंभ पर, विभिन्न राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम और जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकायों के निर्वाचित पदाधिकारी उप-धारा (3) के अधीन कोई भी नये निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रीति से अवधारित किये जायेंगे :-

(क) अधिनियम की अनुसूची 'ख' में सूचीबद्ध राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगमों के लिए राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् से संबद्ध राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगमों द्वारा फाइल की गयी विवरणियों और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के पास उपलब्ध अभिलेख के आधार पर, जो या तो ऐसी विवरणियों पर या इस अधिनयम के प्रारंभ की तारीख को सुसंगत जिला क्रीड़ा परिषद् के अभिलेख के आधार पर आधारित हों :

(ख) जिला स्तरीय क्रीड़ा संगमों के लिए, प्राथमिक तौर पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् से संबद्ध राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगमों द्वारा फाइल की गयी विवरणियों के आधार पर और यदि ऐसी विवरणियां उपलब्ध नहीं हों तो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को जिला क्रीड़ा परिषद् के पास उपलब्ध संबद्धता अभिलेख के आधार पर।

(5) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अध्याय के अन्तर्गत आने वाले राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम से संबद्ध और इंस अध्याय के अन्तर्गत न आने वाले जिला स्तरीय क्रीड़ा संगमों को संबंधित राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किये जाने से नौ मास का समय अनुज्ञात किया जायेगा।

27. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, ऐसे सभी क्रीड़ा संगमों का रजिस्ट्रीकरण, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं.28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं और जिन्होंने धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रीकरण और मान्यता का विकल्प दिया है ऐसे विकल्प की तारीख से अस्तित्व में नहीं रह जायेंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी संगम का रजिस्ट्रीकरण समाप्त हो जाने पर भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व उद्‌भूत सभी दावे या उपगत दायित्व या प्रारंभ की गयी कार्यवाहियां, ऐसेदावाकृत की, भुगती जायेंगी या, यथास्थिति, जारी रहेंगी मानो रजिस्ट्रीकरण का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किसी संगम के रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति पर, संगम की संपत्ति, संगम की उप-विधियों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय में निहित रहना जारी रहेगी जिनमें संपत्ति इस अधिनियम के प्रारंभके ठीक पूर्व निहितं थी।

अध्याय 8

क्रीड़ा संगमों के अधिकार और दायित्व

28. भाग लेने का अधिकार. प्रत्येक क्रीड़ा संगम को संबद्धक क्रीड़ा संगम की उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन रहते हुए ऐसे क्रीड़ा संगम द्वारा संचालित ऐसे क्रीड़ा क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार होगा जिससे वह सम्बद्ध है।

29. राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगमों की बाध्यताएं.- राजस्थान ओलम्पिक संगम से भिन्न प्रत्येक राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम-

(1) प्रतिवर्ष वरिष्ठों और कनिष्ठों प्रत्येक के लिए कम से कम एक-एक अन्तर जिला राज्य चैम्पियनशिप करायेगा;

(2) अपने खिलाड़ियों और टीम को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेनें के लिए भेजेगा;

(3) या तो स्वयं या राजस्थान क्रीड़ा परिषद् के सहयोग से खिलाड़ियों के लिए पूरे वर्ष प्रशिक्षण और कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध करने के इंतजाम करेगा;

(4) ऐसे पुरस्कार, छात्रवृत्तियां, पदक और ऐसी अन्य सुविधाएं देने के इंतजाम करेगा जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें।

30. जिला स्तरीय क्रीड़ा संगमों की बाध्यताएं- किसी जिला स्तरीय ओलम्पिक संगम से भिन्न प्रत्येक जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम-

(1) प्रतिवर्ष वरिष्ठों और कनिष्ठों प्रत्येक के लिए कम से कम एक-एक जिला स्तरीय चैम्पियनशिप करायेगा ;

(2) अपने खिलाडियों और टीम को राज्य स्तर पर भाग लेने के लिए भेजेगा;

(3) या तो स्वयं या राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के सहयोग से खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण और कोचिंग उपलब्ध करने के इंन्तजाम करेगा;

(4) ऐसे पुरस्कार, छात्रवृत्ति, पदक और अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था करेगा जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें।

अध्याय 9
प्रकीर्ण

31. नियम बनाने की शक्ति (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में यां दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हों सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

32. कठिनाइयों का निराकरण. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई भी कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन प्रदत्त की गयी शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

33. अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का संरक्षण-इस अधिनियम या 'तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन में किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी भी कार्य के लिए या की गयी किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई दावा, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

34. अनूसूची 'क', 'ख' और 'घ' में संशोधन. - अनुसूची 'क', अनुसूची 'ख' और अनुसूची 'घ', के अधीन दी गयी सूची में कोई परिवर्धन या परिवर्तन और हटाया जाना निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा विनियमित होगाः-

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात् रजिस्ट्रार को लिखित सूचना भेज सकेगी;

(2) लिखित सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार उस प्रस्तावित परिवर्धन, परिवर्तन या हटाये जाने का नोटिस प्रकाशित करेगा ;

(3) ऐसे नोटिस के प्रकाशन से तीस दिन की समाप्ति पर उस प्रस्तावित संशोधन पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेंगा और यदि राज्य सरकार उसे उचित समझे तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकेगी :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन जारी की गयी सभी अधिसूचनाएं उनके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेंगी।

35. अपील. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किये गये आदेश से व्यथित कोई भी क्रीड़ा संगम या व्यक्ति ऐसा आदेश किये जाने के तीस दिन के भीतर-भीतर शासन सचिव, युवा मामले और क्रीड़ा विभाग को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा।

(2) ऐसी अपील में शासन सचिव, युवा मामले और क्रीड़ा विभाग का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसके आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण ऐसे आदेश से तीस दिन के भीतर-भीतर उच्च न्यायालय में हो सकेगा।

36. व्यावृत्तियां. इस अधिनियम के प्रारंभ के राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन किसी क्रीड़ा संगम द्वारा की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित सभी विधिपूर्ण कार्यवाइयां इस अधिनियम के अधीन किसी क्रीड़ा संगम के रूप में उसके रजिस्ट्रीकृत होने के आधार पर की हुई समझी जायेंगी।

37. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 में धारा 18 क का अन्तःस्थापन. - राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) की विद्यमान धारा 18 के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"18 क. कतिपय सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से इनकार करने या रद्द करने की रजिस्ट्रार की शक्ति (1) रजिस्ट्रार

(क) धारा 3 के अधीन किसी सोसाइटी, या

(ख) धारा 12-क के अधीन किये गये नाम परिवर्तन, -

का रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार करेगा यदि सोसाइटी के मुख्य क्रियाकलापों में क्रीड़ा सम्मिलित है और अभिव्यक्ति राजस्थान और किसी जिले का नाम सोसाइटी के प्रस्तावित नाम के भाग-रूप में सम्मिलित हो।

(2) यदि राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियमसं. 4) के प्रारंभ के पूर्व रजिस्ट्रीकृत किसी क्रीड़ा सोसाइटी के नाम में अभिव्यक्ति "राजस्थान" या राज्य के किसी जिले का नाम उसके भागरूप में है तो ऐसी सोसाइटी ऐसे प्रारंभ से तीस दिन के भीतर-भीतर सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत नाम से राजस्थान या, यथास्थिति, उस जिले का नाम हटाने के लिए अपने नाम में संशोधन करेगी।

(3) यदि कोई भी सोसाइटी उप-धारा (2) के उपबंधों काअनुपालन करने में विफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण इस प्रकार प्रभावी होगा मानो ऐसी सोसाइटी के सदस्यों ने सोसाइटी को विघटित करने का संकल्प किया है और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे। "।

38. निरसन और व्यावृत्तियां (1) राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अध्यादेश, 2004 (2004 का अध्यादेश सं. 6) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची 'क'

(धारा 5, 26 और 34 देखिए)

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

1. सदस्यों की मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित सूची।
2. कार्यकारी निकाय के निर्वाचित सदस्यों की सूची।
3. संबद्धता प्रमाणपत्र।
4. इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बनाया गया ज्ञापन और उप-विनियां (दो प्रतियों में)।
5. अंतिम साधारण बैठक का कार्यवृत्त ।
6. अध्याय 7 के अन्तर्गत आने वाले संगम के मामले में, उप-विधियां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप करने का वचन यदि वे आवेदन किये जाने की तारीख तक नहीं की गयी हैं।
7. ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का अद्यतन संपरीक्षित लेखा।

अनूसची 'ख'

(धारा 5, 26 और 34 देखिए)

इस अधिनियम के प्रारंभ पर रजिस्ट्रीकरण के पात्र राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम

1. राजस्थान तीरंदाजी संगम ।
2. राजस्थान एथलेटिक्स संगम ।
3. राजस्थान बैडमिन्टन संगम ।
4. राजस्थान बाल बैडमिन्टन संगम ।
5. राजस्थान बॉस्केटबॉल संगम ।
6. राजस्थान बिलियर्ड्स संगम ।
7. राजस्थान शरीर सौष्ठव संगम।
8. राजस्थान मुक्केबाजी संगम।
9. राजस्थान ब्रिज संगम।
10. राजस्थान कैरम संगम।
11. राजस्थान शतरंज संगम ।
12. राजस्थान कॉर्फ बाल संगम ।
13. राजस्थान क्रिकेट संगम ।
14. राजस्थान साईकिल पोलो संगम ।
15. राजस्थान साईक्लिग संगम ।

16. राजस्थान निःशक्तजन क्रिकेट संगम ।
17. राजस्थान इक्वेस्ट्रियम संगम।
18. राजस्थान फुटबाल संगम।
19. राजस्थान गोल्फ संगम।
20. राजस्थान जिमनास्टिक संगम ।
21. राजस्थान हैण्डवॉल संगम ।
22. राजस्थान हॉकी संगम।
23. राजस्थान कबड्डी संगम।
24. राजस्थान खो-खो संगम ।
25. राजस्थान नेट बॉल संगम ।
26. राजस्थान पॉवर लिफ्टिंग संगम ।
27. राजस्थान राईफल शूटिंग संगम।
28. राजस्थान शूटिंग बॉल संगम ।
29. राजस्थान साफ्टबॉल संगम ।
30. राजस्थान तैराकी संगम।
31. राजस्थान टेबल टेनिस संगम।
32. राजस्थान ताईक्वान्डो संगम ।
33. राजस्थान टेनिस संगम।
34. राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट संगम ।
35. राजस्थान बॉलीबाल संगम।
36. राजस्थान भारोत्तोलन संगम ।
37. राजस्थान कुश्ती (फी स्टाईल) संगम।
38. राजस्थान कुश्ती (भारतीय पद्धति) संगम ।
39. राजस्थान महिला किक्रेट संगम।
40. राजस्थान महिला हॉकी संगम।

अनुसूची 'ग'
(धारा 15 देखें)

किसी क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय का निर्वाचन लड़ने और उसमें पद धारण करने के लिए अर्हताएं

1. वह भारत का नागरिक होगा/होगी।
2. वह उस संबंधित क्रीड़ा संगम के कार्यक्षेत्र के भीतर-भीतर नीचे सूचीबद्ध अर्हताओं में से किसी एक का धारक होना/होनी चाहिए:-

(क) उसका वहां जन्म हुआ है,
(ख) सामान्यतया वहां का/की निवासी है,
(ग) वहां कार्य कर रहा/रही है,
(घ) वहां उसके स्वामित्व में संपत्ति है।

3. उसे किसी दाण्डिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
4. उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

अनुसूची 'घ' (धारा 34 देखिए)

क्रीड़ा संगम द्वारा रखा जाने वाला आवश्यक अभिलेख

1. सदस्यों का रजिस्टर।
2. कार्यकारी निकाय की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका।
3. साधारण निकाय की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका ।
4. लेखाओं का रजिस्टर।
5. क्रियाकलापों, प्रतिस्पर्धाओं और उपलब्धियों का अभिलेख।

जी. एस. होरा,

शासन सचिव ।